



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052026-272868
CG-DL-E-26052026-272868

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948

No. 343]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2026

सा.का.नि. 378(अ).—केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025, का 24) की धारा 136 तथा धारा 142 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 133 की उपधारा (4), धारा 135 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 143 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (झ)) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन (पोत से निकलने वाले कचरे से प्रदूषण का निवारण) नियम, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-(1) इन नियमों को वाणिज्य पोत परिवहन (पोत से कचरे द्वारा प्रदूषण का निवारण) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.-(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासन" से महानिदेशक है तथा किसी अन्य राज्य का ध्वज फहराने के पात्र जलयानों के संबंध में उस राज्य की सरकार से है;

(ग) "पशु शव" से उन जानवरों के शरीर अभिप्रेत है, जिन्हें माल के रूप में जहाज पर ले जाया जाता है और जो यात्रा के दौरान मर जाते हैं या जिन्हें इच्छामृत्यु दी जाती है;

(घ) "उपाबंध" से जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1973 के उपाबंध-5-अभिप्रेत है, जैसा कि 1978 के प्रोटोकॉल (MARPOL) उपांतरित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है;

(ङ) "माल अवशेष" से किसी भी माल के वह अवशेष अभिप्रेत है जो प्रदूषण निवारण के संबंध में वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन बनाए गए अन्य नियमों के अधीन नहीं आते हैं और जो माल के लदान या उतारने के पश्चात् डेक या होल्ड में रह जाते हैं, जिनमें के दौरान अतिरिक्त माल या रिसाव शामिल है, चाहे वह गीली अवस्था में हो या सूखी अवस्था में धुलाई के पानी में समाहित धूल इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसमें झाड़ू लगाने के बाद डेक पर बची हुई माल की धूल या जहाज की बाहरी सतहों पर जमी धूल शामिल नहीं है;

(च) "अभिसमय" से तात्पर्य जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1973 से है, जिसमें समय-समय पर संशोधित 1978 का प्रोटोकॉल भी शामिल है;

(छ) "खाना पकाने का तेल" से तात्पर्य किसी भी प्रकार के खाद्य तेल या पशु वसा से है जिसका उपयोग भोजन तैयार करने या पकाने के लिए किया जाता है या किया जाना है, लेकिन इसमें वह भोजन शामिल नहीं है जो इन तेलों का उपयोग करके तैयार किया जाता है;

(ज) "घरेलू अपशिष्ट" से तात्पर्य किसी पोत के आवास स्थानों के भीतर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की सभी श्रेणियों से है, जो प्रदूषण निवारण से संबंधित व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 2025 (24 ऑफ 2025) के तहत बनाए गए किसी अन्य नियम के तहत विनियमित नहीं हैं, और इसमें ग्रे जल शामिल नहीं होगा;

(झ) "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बुक" का अर्थ है प्रशासन द्वारा अनुमोदित कोई उपकरण या प्रणाली, जिसका उपयोग हार्ड कॉपी अभिलेख बुक के स्थान पर अनुलग्नक के अंतर्गत आवश्यक निर्वहन, स्थानांतरण और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक प्रविष्टियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिलेख करने के लिए किया जाता है;

(ञ) "मार्ग में" का अर्थ है कि पोत समुद्र में एक या एक से अधिक मार्गों पर चल रहा है, जिसमें सबसे छोटे सीधे मार्ग से विचलन भी शामिल है, जो नौवहन उद्देश्यों के लिए जितना संभव हो उतना व्यावहारिक रूप से किसी भी निर्वहन को समुद्र के उतने बड़े क्षेत्र में फैला देगा जितना उचित और व्यावहारिक हो;

(ट) "ई-कूड़ा" का अर्थ है पोत के सामान्य संचालन या आवास स्थानों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसमें सभी घटक, उप-असेंबली और उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं, जो त्याग के समय उपकरण का हिस्सा हैं, जिनमें मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए संभावित रूप से खतरनाक सामग्री मौजूद है;

(ठ) "मत्स्य पकड़ने का उपकरण" से तात्पर्य किसी भी भौतिक उपकरण या उसके भाग या वस्तुओं के संयोजन से है जिसे समुद्री या मीठे पानी के जीवों को पकड़ने, या बाद में पकड़ने या कटाई के लिए नियंत्रित करने के उद्देश्य से पानी पर या समुद्र तल पर रखा जा सकता है;

(ड) "स्थिर या तैरते हुए प्लेटफॉर्म" से तात्पर्य समुद्र में स्थित स्थिर या तैरती हुई संरचनाओं से है जो समुद्र तल के खनिज संसाधनों की खोज, दोहन या संबंधित अपतटीय प्रसंस्करण में लगी हुई हैं;

(ढ) "खाद्य अपशिष्ट" से तात्पर्य किसी भी खराब या बिना खराब हुए खाद्य पदार्थों से है और इसमें फल, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, मुर्गी, मांस उत्पाद और जहाज पर उत्पन्न खाद्य अपशिष्ट शामिल हैं;

(ण) "कूड़ा" से तात्पर्य सभी प्रकार के खाद्य अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट और परिचालन अपशिष्ट, सभी प्लास्टिक, माल के अवशेष, भस्मीकरण की राख, खाना पकाने का तेल, मछली पकड़ने का सामान और पशु शवों से है। पोत के सामान्य संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाले और निरंतर या आवधिक रूप से निपटान के लिए उत्तरदायी पदार्थ, उन पदार्थों को छोड़कर जो प्रदूषण निवारण से संबंधित व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 2025 (24 ऑफ 2025) के तहत बनाए गए अन्य नियमों में परिभाषित या सूचीबद्ध हैं:

बशर्ते कि कचरे में ताजी मछली और उसके हिस्से शामिल न हों जो यात्रा के दौरान की गई मछली पकड़ने की गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हों, या जलीय कृषि गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हों जिनमें मछली (शंख सहित) का परिवहन जलीय कृषि सुविधा में रखने के लिए और ऐसी सुविधाओं से कटाई की गई मछली (शंख सहित) को प्रसंस्करण के लिए तट तक परिवहन करना शामिल हो।

(त) ठोस थोक माल के संबंध में "HME" (समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक) का अर्थ और मानदंड चौथी अनुसूची में निर्धारित हैं;

(थ) "भस्मीकरण संयंत्र की राख" से तात्पर्य कचरे के भस्मीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाज पर स्थित भस्मीकरण संयंत्रों से उत्पन्न राख और क्लिकर से है;

(द) "निकटतम भूमि" का वही अर्थ होगा जो परिशिष्ट में दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट से दूर विशेष आधार रेखा भी शामिल है;

(ध) "परिचालनात्मक अपशिष्ट" से तात्पर्य उन सभी ठोस अपशिष्टों (स्लरी सहित) से है जो प्रदूषण निवारण से संबंधित व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 2025 (24 ऑफ 2025) के अंतर्गत बनाए गए अन्य नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो किसी पोत के सामान्य रखरखाव या संचालन के दौरान जहाज पर एकत्र किए जाते हैं, या माल भंडारण और संचालन के लिए उपयोग किए जाते हैं, और इसमें कार्गो होल्ड और बाहरी धुलाई जल में निहित सफाई एजेंट और योजक शामिल हैं;

बशर्ते कि परिचालन अपशिष्टों में ग्रे वाटर, बिलज वाटर या पोत के संचालन के लिए आवश्यक अन्य समान निर्वहन शामिल न हों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए;

(न) "संगठन" से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से है;

(प) "प्लास्टिक" से तात्पर्य एक ठोस पदार्थ से है जिसमें एक या एक से अधिक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले पॉलिमर एक आवश्यक घटक के रूप में होते हैं और जो पॉलिमर के निर्माण या तैयार उत्पाद में निर्माण के दौरान ऊष्मा और/या दबाव द्वारा आकार (रूप) में निर्मित होते हैं, जिनके भौतिक गुण कठोर और भंगुर से लेकर नरम और लोचदार तक होते हैं और इसमें वह सभी कूड़ा शामिल है जिसमें किसी भी रूप में प्लास्टिक होता है या शामिल होता है, जिसमें सिंथेटिक रस्सियाँ, सिंथेटिक मछली पकड़ने के जाल, प्लास्टिक कूड़ा बैग, माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक पेलेट्स और प्लास्टिक उत्पादों से भस्मीकरण राख शामिल हैं;

(फ) "ध्रुवीय संहिता" से तात्पर्य ध्रुवीय जलक्षेत्रों में संचालित होने वाले जहाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता से है, जिसमें एक प्रस्तावना, भाग I-A और भाग 11-A तथा भाग 1-B और II-B शामिल हैं, जैसा कि संकल्प MSC 385(94) और MEPC 264(68) द्वारा अपनाया गया है, जैसा कि संशोधित किया जा सकता है:

(i) ध्रुवीय संहिता के भाग II-A के अध्याय 5 और प्रस्तावना के पर्यावरण संबंधी प्रावधानों में संशोधन, अनुलग्नक के परिशिष्ट पर लागू संशोधन प्रक्रियाओं से संबंधित अभिसमय के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार अपनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं और प्रभावी होते हैं; और

(ii) समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के नियमों के अनुसार ध्रुवीय संहिता के भाग II-B में संशोधन किए जाते हैं;

(ब) "ध्रुवीय जल" से तात्पर्य आर्कटिक जल और/या अंटार्कटिक क्षेत्र से है,

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, आर्कटिक जल का अर्थ उन जल क्षेत्रों से है जो अक्षांश 58°00'.0 N और देशांतर 042°00'.0 W से अक्षांश 64°37'.0 N और देशांतर 035°27'.0 W तक खींची गई रेखा के उत्तर में स्थित हैं, और फिर एक समचतुर्भुज रेखा द्वारा अक्षांश 67°03.9 N और देशांतर 026°33'.4 W तक, और फिर एक समचतुर्भुज रेखा द्वारा अक्षांश 70°49'.56 N और देशांतर 008°59'.61 W (सोरकाप, जन मायेन) तक, और जन मायेन के दक्षिणी तट से 73°31'.6 N और 019°01'.0 E तक, ब्योर्नॉय द्वीप तक, और फिर एक वृहत्तर वृत्त रेखा द्वारा अक्षांश तक स्थित हैं। 68°38'.29 उत्तर अक्षांश और 043°23'.08 पूर्व देशांतर (कैप कानिन नोस) से होते हुए एशियाई महाद्वीप के उत्तरी तट से पूर्व की ओर बेरिंग जलडमरूमध्य तक और फिर बेरिंग जलडमरूमध्य से पश्चिम की ओर 60° उत्तर अक्षांश तक इलपिरस्की तक और 60वें उत्तरी अक्षांश के समानांतर पूर्व की ओर एटोलिन जलडमरूमध्य तक और फिर

उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी तट से दक्षिण की ओर 60° उत्तर अक्षांश तक और फिर 60° उत्तर अक्षांश के समानांतर पूर्व की ओर 056°37'.1 पश्चिम देशांतर तक और फिर 58°00'.0 उत्तर अक्षांश और 042°00'.0 पश्चिम देशांतर तक।

(भ) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूचियों से है, जिनमें जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1973 के अनुबंध V की आवश्यकताएं शामिल हैं, जिसमें समय-समय पर संशोधित 1978 का प्रोटोकॉल भी शामिल है;

(म) "विशेष क्षेत्र" से तात्पर्य एक समुद्री क्षेत्र से है जहाँ इसकी समुद्र विज्ञान और पारिस्थितिक स्थिति तथा इसके यातायात की विशेष प्रकृति के संबंध में मान्यता प्राप्त तकनीकी कारणों से कचरे द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष अनिवार्य विधियों को अपनाना आवश्यक है और ये विशेष क्षेत्र भूमध्य सागर क्षेत्र, बाल्टिक सागर क्षेत्र, काला सागर क्षेत्र, लाल सागर क्षेत्र, खाड़ी क्षेत्र, उत्तरी सागर क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र और व्यापक कैरेबियन क्षेत्र हैं, जिन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(i) भूमध्य सागर क्षेत्र का अर्थ है भूमध्य सागर, जिसमें उसके भीतर की खाड़ियाँ और समुद्र शामिल हैं, और भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच की सीमा 41° उत्तरी अक्षांश द्वारा निर्मित है तथा पश्चिम में जिब्राल्टर जलडमरूमध्य द्वारा 5°36' पश्चिमी देशांतर पर स्थित है;

(ii) बाल्टिक सागर क्षेत्र का अर्थ है बाल्टिक सागर, जिसमें बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी शामिल हैं, और बाल्टिक सागर का प्रवेश द्वार जो स्केजराक में 57° 44.8' उत्तर पर स्थित है;

(iii) काला सागर क्षेत्र का तात्पर्य भूमध्य सागर और काला सागर के बीच की सीमा सहित काला सागर से है, जो 41° उत्तर अक्षांश रेखा द्वारा निर्मित है;

(iv) लाल सागर क्षेत्र का अर्थ है स्वेज और अकाबा की खाड़ी सहित लाल सागर क्षेत्र, जो दक्षिण में रास सी आने (12° 28.5' N. 43° 19.6' पूर्व) के बीच अंगूठे की रेखा द्वारा घिरा हुआ है और हुस्र मुराद (12° 40.4' उत्तर, 43° 30.2' पूर्व);

(v) खाड़ी क्षेत्र से तात्पर्य रास अल हद्द (22° 30' उत्तर, 59° 48' पूर्व) और रास अल फस्तच (25° 04' उत्तर, 61° 25' पूर्व) के बीच की समचतुर्भुज रेखा के उत्तर-पश्चिम में स्थित समुद्री क्षेत्र से है;

(vi) उत्तरी सागर क्षेत्र का अर्थ है उत्तरी सागर, जिसमें अक्षांश 62° उत्तर और देशांतर 4° पश्चिम के पूर्व में उत्तरी सागर के बीच की सीमा, स्कैगेरक, जिसकी दक्षिणी सीमा स्काव के पूर्व में अक्षांश 57° 44.8' उत्तर द्वारा निर्धारित की जाती है, और इंग्लिश चैनल और इसके पहुँच मार्ग देशांतर 5° पश्चिम और अक्षांश 48° 30' उत्तर के पूर्व में;

(vii) अंटार्कटिक क्षेत्र से तात्पर्य अक्षांश 60° दक्षिण के दक्षिण में स्थित समुद्री क्षेत्र से है;

(viii) व्यापक कैरेबियन क्षेत्र का अर्थ है मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, जिसमें उसके भीतर की खाड़ियाँ और समुद्र शामिल हैं, और अटलांटिक महासागर का वह भाग जो फ्लोरिडा से पूर्व की ओर 77°30' पश्चिम देशांतर तक 30° उत्तरी अक्षांश द्वारा खींची गई सीमा के भीतर आता है, फिर 20° उत्तरी अक्षांश और 59° पश्चिम देशांतर के प्रतिच्छेदन तक एक सीधी रेखा, फिर 7°20' उत्तरी अक्षांश और 50° पश्चिम देशांतर के प्रतिच्छेदन तक एक सीधी रेखा, और फिर दक्षिण-पश्चिम की ओर खींची गई एक सीधी रेखा जो फ्रेंच गुयाना की पूर्वी सीमा तक जाती है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया है।

3. आवेदन. (1) जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान न किया गया हो, इन नियमों के प्रावधान अधिनियम की धारा 131 और 132 के अनुसार सभी जहाजों और बंदरगाहों पर लागू होंगे।

(2) जिन जहाजों और बंदरगाहों पर ये नियम लागू होते हैं, उन्हें इन नियमों की अनुसूची में दी गई आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

4. समुद्र में कूड़ा डालने पर सामान्य प्रतिबंध- (1) सभी प्रकार के कूड़े का निर्वहन और समुद्र में ई-कूड़ा डालना निषिद्ध है, सिवाय इसके कि प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 1 से 3 और ध्रुवीय संहिता के भाग II-A के नियम 5 और धारा 5.2 में अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

(2) इन नियमों के नियम 5 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, सभी प्रकार के प्लास्टिक, जिनमें सिंथेटिक रस्सियाँ, सिंथेटिक मछली पकड़ने के जाल, प्लास्टिक कूड़ा बैग, माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक पेलेट्स और प्लास्टिक उत्पादों से निकलने वाली भस्मीकरण राख शामिल हैं, का समुद्र में निर्वहन निषिद्ध है।

5. अपवाद- (1) नियम 4 और प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 1 से 3 तथा ध्रुवीय संहिता के भाग 2-ए के अध्याय 5 की धारा 5.2 के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) किसी पोत से कचरे का निर्वहन करना जो पोत और उस पर सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने या समुद्र में जीवन बचाने के उद्देश्य से आवश्यक हो; या

(ख) किसी पोत या उसके उपकरण को हुए नुकसान के परिणामस्वरूप कचरे का आकस्मिक नुकसान, बशर्ते कि नुकसान होने से पहले और बाद में आकस्मिक नुकसान को रोकने या कम करने के लिए सभी उचित सावधानियां बरती गई हों; या

(ग) किसी पोत से मछली पकड़ने के उपकरणों का आकस्मिक नुकसान, बशर्ते कि ऐसे नुकसान को रोकने के लिए सभी उचित सावधानियां बरती गई हों; या

(घ) समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए या उस पोत या उसके चालक दल की सुरक्षा के लिए किसी पोत से मछली पकड़ने के उपकरण का निर्वहन।

(2) प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 1 और 2 तथा ध्रुवीय संहिता के भाग 2-ए के अध्याय 5 की मार्ग संबंधी आवश्यकताएँ खाद्य अपशिष्टों के निर्वहन पर लागू नहीं होंगी, जहाँ यह स्पष्ट हो कि इन खाद्य अपशिष्टों को जहाज पर रखने से जहाज पर सवार लोगों के स्वास्थ्य को तत्काल खतरा है।

6. ध्रुवीय जल- (1) जिन जहाजों पर ये नियम लागू होते हैं, वे ध्रुवीय जल में संचालन करते समय, इन नियमों की किसी अन्य लागू आवश्यकताओं के अतिरिक्त, प्रस्तावना के पर्यावरण संबंधी प्रावधानों और ध्रुवीय संहिता के भाग II-A के अध्याय 5 का अनुपालन करेंगे।

(2) ध्रुवीय संहिता के भाग II-A के अध्याय 5 को लागू करते समय, ध्रुवीय संहिता के भाग II-B में दिए गए अतिरिक्त मार्गदर्शन पर विचार किया जाएगा।

7. स्वागत सुविधाओं की पर्याप्तता- (1) भारत में प्रत्येक बंदरगाह और टर्मिनल यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अनुसार, जहाजों को अनुचित देरी किए बिना कूड़ा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना।

(2) महानिदेशक, अनुबंध के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अपर्याप्त होने के सभी मामलों की सूचना संगठन को संबंधित संविदाकारी सरकारों को प्रेषित करने हेतु देंगे।

(3) स्वागत सुविधाओं के लेखापरीक्षा या निरीक्षण तथा बंदरगाह अपशिष्ट प्रबंधन योजना (पीडब्ल्यूएमपी) की जांच, अनुमोदन और आवधिक समीक्षा के लिए बंदरगाहों और टर्मिनलों द्वारा महानिदेशक को देय शुल्क 40,000 रुपये होगा।

8. परिचालन संबंधी आवश्यकताओं पर नियंत्रण- (1) बंदरगाह या अपतटीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक पोत भारत में स्थित टर्मिनल इन नियमों के तहत परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में सर्वेक्षक या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण

के अधीन है, जहां यह मानने के स्पष्ट कारण हैं कि मास्टर या चालक दल कचरे से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित आवश्यक जहाज पर प्रक्रियाओं से परिचित नहीं हैं।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाएगा कि जब तक इन नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार स्थिति को व्यवस्थित नहीं कर लिया जाता तब तक पोत रवाना न हो।

(3) इस नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या अभिसमय में विशेष रूप से प्रदान की गई परिचालन आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखने वाली केंद्र सरकार के अधिकारों और दायित्वों को सीमित किया जा सके।

9. **दंड-** (1) इन नियमों का उल्लंघन या इसके किसी भी प्रावधान का पालन न करने पर अधिनियम में निर्दिष्ट दंड लागू होंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी पोत का संचालन करता है, और जिसके लिए अधिनियम की धारा 281 की उपधारा (2) के तहत कोई विशिष्ट दंड निर्धारित नहीं है, वह 50,000 रुपये तक के दंड का भागी होगा, और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहता है, तो उल्लंघन जारी रहने वाले पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त दंड लगाया जा सकता है।

(3) इस नियम के तहत किसी भी दंड का अधिरोपण स्वामी या मास्टर को गैर-अनुपालन को सुधारने की आवश्यकता से मुक्त नहीं करेगा।

पहली अनुसूची

[नियम 4 के उप-नियम (1) और नियम 5 देखें]

कचरे से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम (परिशिष्ट V, नियम 3-6)

1. विशेष क्षेत्रों के बाहर कूड़ा डालना - (1) विशेष क्षेत्रों के बाहर समुद्र में निम्नलिखित कचरे का निर्वहन केवल तभी अनुमत होगा जब पोत मार्ग में हो और निकटतम भूमि से यथासंभव दूर हो, लेकिन किसी भी स्थिति में, इससे कम नहीं होना चाहिए: -

(क) कमिन्स्यूटर या ग्राइंडर से गुजरे खाद्य अपशिष्टों के लिए निकटतम भूमि से तीन समुद्री मील की दूरी। ऐसे पिसे हुए खाद्य अपशिष्ट 25 मिमी से अधिक बड़े छिद्रों वाली छलनी से गुजरने में सक्षम होने चाहिए;

(ख) खंड (क) के अनुसार उपचारित न किए गए खाद्य अपशिष्टों के लिए निकटतम भूमि से बारह समुद्री मील की दूरी;

(ग) माल के अवशेषों के लिए निकटतम भूमि से बारह समुद्री मील की दूरी, जिन्हें आम तौर पर उपलब्ध अनलोडिंग विधियों का उपयोग करके पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया जाए। इन माल अवशेषों में चौथी अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक के रूप में वर्गीकृत कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए;

(घ) पशु शवों के लिए, संगठन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, निकटतम भूमि से यथासंभव दूर निर्वहन किया जाएगा।

(2) कार्गो होल्ड, डेक और बाहरी सतहों के धुलाई जल में निहित सफाई एजेंट या योजक समुद्र में छोड़े जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसा निर्वहन पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करता हो, और ये पदार्थ संगठन द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होने चाहिए।

(3) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीवन सुरक्षा अभिसमय (एसओएलएस), 1974, संशोधित, के विनियमन VI/1-1.2 में परिभाषित ठोस थोक माल, अनाज के अलावा, चौथी अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, और प्रेषक द्वारा घोषित किया जाएगा कि वे समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं या नहीं।

(4) जब कूड़ा अन्य पदार्थों के साथ मिला हुआ हो या उनसे दूषित हो, जिन्हें निर्वहन के लिए प्रतिबंधित किया गया हो या जिनके निर्वहन की आवश्यकताएं भिन्न हों, तो अधिक कठोर आवश्यकताएं लागू होंगी।

2. विशेष क्षेत्रों के भीतर निर्वहन- (1) विशेष क्षेत्रों के भीतर समुद्र में निम्नलिखित कचरे का निर्वहन केवल तभी अनुमत होगा जब पोत मार्ग में हो और निम्नानुसार हो:

(क) खाद्य अपशिष्ट का समुद्र में निकटतम भूमि से यथासंभव दूर, लेकिन निकटतम भूमि या निकटतम हिमखंड से कम से कम बारह समुद्री मील की दूरी पर ही निस्सारण किया जाएगा। खाद्य अपशिष्ट को विखंडित या अवचूर्णित करके ऐसी छलनी से छानना चाहिए जिसके छिद्रों का आकार 25 मिमी से अधिक हो। खाद्य अपशिष्ट किसी अन्य प्रकार के कचरे से दूषित नहीं होगा। अंटार्कटिक क्षेत्र में कुक्कुट और उसके अवयव सहित, लाए गए पक्षी उत्पादों का निस्सारण तब तक अनुमत नहीं होगा, जब तक कि उन्हें रोगाणु रहित न कर दिया गया हो।

(ख) स्थोरा (माल कार्गो) के उन अवशेषों का निस्सारण जिन्हें सामान्यतः उपलब्ध अनलोडिंग विधियों का उपयोग करके पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जहां निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात्:

(i) स्थोरामाल (कार्गो) के पानी में निहित स्थोरा (माल कार्गो) के अवशेषों में चौथी अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक के रूप में वर्गीकृत कोई भी पदार्थ सम्मिलित नहीं है;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीवन सुरक्षा अभिसमय (एसओएलएस), 1974, यथासंशोधित, के विनियमन 6/1-1.2 में परिभाषित ठोस थोक मालकार्गो, अनाज के सिवाय, चौथी अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, और प्रेषक द्वारा यह घोषित किया जाएगा कि वे समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं या नहीं;

(iii) होल्ड वॉशिंग वॉटर में निहित सफाई सक्रीय पदार्थ या योजक में कोई भी ऐसा पदार्थ सम्मिलित होगा जिसे संगठन द्वारा विकसित मार्ग दर्शक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

(iv) प्रस्थान पत्तन और अगला गंतव्य पत्तन दोनों विशेष क्षेत्र के भीतर हैं और पोत उन पत्तनों के बीच विशेष क्षेत्र से बाहर पारगमन नहीं करेगा;

(v) संगठन द्वारा विकसित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन पत्तनों पर पर्याप्त स्वागत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(vi) जहां उप-खंड (i) से (v) की शर्तें पूरी हो गई हों, वहां अवशेषों युक्त कार्गो होल्ड धुलाई जल का निस्सारण निकटतम भूमि या निकटतम हिम चट्टान से यथासंभव दूर और निकटतम भूमि या निकटतम हिम चट्टान से बारह समुद्री मील से कम दूरी पर नहीं किया जाएगा।

(2) डेक और बाहरी सतहों की धुलाई के पानी में निहित सफाई सक्रीय पदार्थ या योजक समुद्र में निस्सारित किए जा सकते हैं, परन्तु केवल तभी, जब संगठन द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ये पदार्थ समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक न हों।

(3) उप-चैरा1 के उपबंधों के अतिरिक्त, अंटार्कटिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित नियम भी लागू होंगे, अर्थात्: -

(क) प्रत्येक पक्ष जिसके पत्तन से अंटार्कटिक क्षेत्र के लिए खाना होने वाले या वहां से आने वाले जलयान प्रस्थान करते हैं, यह सुनिश्चित करने का वचन देगा कि सभी जलयान से निकलने वाले सभी अपशिष्ट को बिना किसी अनावश्यक विलंब के और उनका उपयोग करने वाले जलयानों की अपेक्षाओं के अनुसार यथासाध्य यथाशीघ्र यथायोग्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(ख) प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अंटार्कटिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, उसके ध्वज को फहराने के हकदार सभी जलयान में क्षेत्र में संचालन के दौरान कूड़ा रखने के लिए पर्याप्त क्षमता हो और क्षेत्र छोड़ने के पश्चात् ऐसा कूड़ा किसी स्वागत सुविधा में उतारने की व्यवस्था की गई है।

(4) जब कूड़ा अन्य पदार्थों से मिश्रित हो या उनसे दूषित हो, जिनका निस्सारण निषिद्ध है या जिनके निस्सारण के लिए भिन्न अपेक्षाएँ हैं, तो वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन बनाए गए अन्य नियमों के अंतर्गत अधिक कठोर अपेक्षाएँ लागू होंगी।

3. स्थिर या तैरते प्लेटफार्म से अपशिष्ट निकालने के लिए विशेष अपेक्षाएँ—(1) उप-पैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्थिर या तैरते प्लेटफार्म से और अन्य सभी जलयान से, जब वे ऐसे प्लेटफार्म के साथ या 500 मीटर के भीतर हों, तो समुद्र में किसी भी अपशिष्ट का निस्सारण निषिद्ध है।

(2) निकटतम भूमि से बारह समुद्री मील से अधिक दूरी पर स्थित स्थिर या तैरते प्लेटफार्म से और ऐसे प्लेटफार्म के निकट या 500 मीटर के भीतर स्थित अन्य सभी जलयान से खाद्य अपशिष्ट को समुद्र में अपशिष्ट को कमिन्यूटर या ग्राइंडर से होकर ही निस्सारित किया जा सकेगा। इस प्रकार पिसे हुए खाद्य अपशिष्ट 25 मिमी से अधिक बड़े छिद्रों वाली छलनी से निकलने में सक्षम होने चाहिए।

4. प्लेकार्ड —12 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले प्रत्येक जलयान और स्थिर या तैरते प्लेटफार्म पर, सभी जलयान पर, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यथालागू प्लेकार्ड प्रदर्शित किए जाएंगे, जो जलयान के कर्मियों की कार्य भाषा में और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए अंग्रेजी भाषा में भी होंगे, जो चालक दल और यात्रियों को नियम 4 और इस अनुसूची के पैरा 1, 2 और 3 तथा पोलर कोड के भाग 2 के खंड 5.2 के कूडानिस्सारण अपेक्षाओं के संबंध में सूचित करेंगे।

5. कूड़ा प्रबंध योजना (जीएमपी)— (1) 100 सकल टन और उससे अधिक के प्रत्येक जलयान, और पंद्रह या अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रमाणित प्रत्येक जलयान, और स्थिर या तैरते प्लेटफार्म को तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कूड़ा प्रबंध योजना रखेंगे, जिसका चालक दल पालन करेगा।

(2) इस योजना में कूड़े को कम करने, इकट्ठा करने, भंडारण करने, प्रसंस्करण करने और निपटान करने के लिए लिखित प्रक्रियाओं का उपबंध किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जलयान पर उपस्कर का उपयोग भी है। इसमें योजना को क्रियान्वित करने के प्रभारी व्यक्ति या व्यक्तियों को भी नामित किया जाएगा।

(3) ऐसी योजना संगठन द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित होगी और जलयान-विशिष्ट, समझने में आसान और जलयान की कार्य भाषा में लेखबद्ध की जाएगी।

6. कूड़ा अभिलेख पुस्तिका (जीआरबी) और अभिलेख-रखरखाव— (1) 100 ग्रॉस के प्रत्येक टन भार और उससे अधिक वाले प्रत्येक जलयान, जो पंद्रह या उससे अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रमाणित है और अभिसमय के किसी अन्य पक्ष के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पत्तन या अपतटीय टर्मिनलों की यात्राओं में संलग्न है, तथा प्रत्येक स्थिर या तैरते हुए प्लेटफार्म पर एक कूड़ा अभिलेख पुस्तिका (गार्बेज अभिलेख बुक) उपलब्ध कराई जाएगी। यह कूड़ा अभिलेख पुस्तिका, चाहे पोत की आधिकारिक लॉगबुक का हिस्सा हो या महानिदेशक द्वारा संगठन द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पुस्तिका, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होगी।

(2) समुद्र में या किसी संग्रहण केंद्र में प्रत्येक निस्सारण या पूर्ण भस्मीकरण को कूड़ा अभिलेख पुस्तिका में तुरंत दर्ज किया जाएगा और निस्सारण या भस्मीकरण की तारीख पर प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। कूड़ा अभिलेख पुस्तिका के प्रत्येक पूर्ण पृष्ठ या इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टियों के समूह पर जलयान के कप्तान द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। कूड़ा अभिलेख पुस्तिका में प्रविष्टियाँ जलयान की कार्यकारी भाषा और, यदि अपेक्षित हो, तो अंग्रेजी में होंगी।

(3) इस अनुसूची के पैरा 1 से 3 या ध्रुवीय संहिता के भाग 2 के अध्याय 5 के खंड 5.2 के अंतर्गत समुद्र में किए गए प्रत्येक निस्सारण के लिए प्रविष्टि में तारीख और समय, जलयान की स्थिति (अक्षांश और देशांतर), कचरे की श्रेणी और निस्सारण की गई अनुमानित मात्रा (घन मीटर में) सम्मिलित होगी। माल अवशेषों के निस्सारण के लिए, उपरोक्त के अतिरिक्त निस्सारण प्रारंभ और समाप्ति स्थानों को भी दर्ज किया जाएगा।

(4) प्रत्येक पूर्ण भस्मीकरण के लिए प्रविष्टि में भस्मीकरण के प्रारंभ और समाप्ति पर जलयान की तारीख और समय तथा स्थिति (अक्षांश और देशांतर), भस्मीकृत कूड़ा की श्रेणी और प्रत्येक श्रेणी के लिए घन मीटर में भस्मीकृत अनुमानित मात्रा सम्मिलित होगी।

(5) पत्तन स्वागत सुविधा या किसी अन्य जलयान में प्रत्येक निस्सारण के लिए प्रविष्टि में निस्सारण की तारीख और समय, पत्तन या सुविधा या जलयान का नाम, निस्सारण किए गए कूड़े की श्रेणी और प्रत्येक श्रेणी के लिए अनुमानित निस्सारण मात्रा घन मीटर में सम्मिलित होंगी।

(6) कूड़ा अभिलेख पुस्तिका, जिसमें संग्रहण सुविधाओं से प्राप्त रसीदें भी सम्मिलित हों, जलयान या स्थिर या तैरते हुए प्लेटफार्म पर रखी जाएगी और ऐसे स्थान पर रखी जाएगी जहाँ युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिए वह आसानी से उपलब्ध हो सके। इस दस्तावेज़ को इसमें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखा जाएगा।

(7) नियम 5 में निर्दिष्ट किसी भी निस्सारण या आकस्मिक हानि की स्थिति में, कूड़ा अभिलेख पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी, या 100 सकल टन से कम भार वाले किसी भी जलयान की दशा में, घटना की तारीख और समय, घटना के समय पोत का पत्तन या स्थिति (अक्षांश, देशांतर और जल की गहराई, यदि ज्ञात हो), निस्सारण या हानि का कारण, निस्सारण या हानि हुई वस्तुओं के ब्यौरे, निस्सारण या हानि हुए कूड़े की श्रेणी, प्रत्येक श्रेणी के लिए घन मीटर में अनुमानित मात्रा का ब्यौरे, ऐसे निस्सारण या आकस्मिक नुकसान को रोकने या कम करने के लिए बरती गई युक्तियुक्त तत्परता और सामान्य टिप्पणियां जलयान की आधिकारिक लॉगबुक में दर्ज किया जाएगा।

(8) महानिदेशक कूड़ा अभिलेख पुस्तिकाओं की अपेक्षाओं को त्याग सकता है

(क) एक घंटे या उससे कम अवधि की यात्राओं में लगा कोई भी जलयान जो पंद्रह या अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रमाणित हो; या

(ख) स्थिर या तैरते हुए प्लेटफार्म।

(9) सर्वेक्षक या कोई प्राधिकृत व्यक्ति, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले किसी भी जलयान पर, भारत के पत्तन या अपतटीय टर्मिनलों में रहते हुए, जलयान के कूड़ा अभिलेख पुस्तिका या आधिकारिक लॉगबुक का निरीक्षण कर सकता है और उन पुस्तकों में दर्ज किसी भी प्रविष्टि की प्रतिलिपि बना सकता है, और जलयान के स्वामी यह प्रमाणित करना अपेक्षित होगा है कि प्रतिलिपि ऐसी प्रविष्टि की सही प्रतिलिपि है। इस प्रकार बनाई गई कोई भी प्रतिलिपि, जिसे जलयान के स्वामी द्वारा जलयान के कूड़ा अभिलेख पुस्तिका या आधिकारिक लॉगबुक में दर्ज प्रविष्टि की सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो, किसी भी न्यायिक कार्यवाही में प्रविष्टि में वर्णित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी। इस पैरा के अधीन सर्वेक्षक या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जलयान के कूड़ा अभिलेख पुस्तिका या आधिकारिक लॉगबुक का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, जलयान को अनावश्यक रूप से विलंबित किए बिना यथाशीघ्र किया जाएगा।

7. अधिसूचनाएं और रिपोर्टें- नियम 5 के उप-नियम (1) के खंड (ग) और (घ) में यथानिर्दिष्ट मत्स्य के उपकरणों की आकस्मिक हानि या निस्सारण, जिससे नौवहन में बाधा उत्पन्न हो या समुद्री पर्यावरण को खतरा हो, की सूचना छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में उस देश के प्रशासन को बिना विलंब के दी जाएगी जिसका ध्वज को फहराने का वह जलयान हकदार है। यदि ऐसी हानि या निस्सारण किसी तटीय राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जलक्षेत्र में होता है, तो इसकी सूचना निकटतम तटीय राज्य प्राधिकरण को भी दी जाएगी। इस अनुच्छेद के अधीन रिपोर्टिंग की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाएगी।

विनियम 7 (अपवाद) के अधीन अपवादिक निस्सारण या कूड़े की हानि

तारीख/ समय	पोत का पत्तन या अवस्थिति (यदि ज्ञात है तो अक्षांश/देशांतर और जल की गहराई)	श्रेणी	निस्सारित या हानि की अनुमानित मात्रा(मी ³)	निस्सारण या हानि के कारण पर टिप्पणी और सामान्य टिप्पणियाँ (उदा. ऐसे निस्सारण और आकास्मिक हानि को रोकने के लिए की गई यथोचित पूर्वधानी और सामान्य टिप्पणियाँ)	प्रमाणन/हस्ताक्षर

स्वामी के हस्ताक्षर _____: तारीख _____:

भाग 2

विनियम 1.2 (परिभाषाएं) में यथा परिभाषित सभी स्थोरा (माल कार्गो) अवशेषों के लिए

पोत का नाम	विशिष्ट संख्या या अक्षर	आईएमओ संख्यांक
------------	-------------------------	----------------

कूड़े की श्रेणीयां

ज-स्थोरा(गैर एचएमई) अवशेष (माल कार्गो)	ट (माल कार्गो)रास्थो -अवशेष (एचएमआई)
--	--------------------------------------

विनियम (विशेष क्षेत्र से बाहर कूड़े का निस्सारण) और विनियम 6 [विशेष क्षेत्र के भीतर कूड़े का निस्सारण] के अधीन निस्सारण

तारीख/ समय	पोत की अवस्थिति (अक्षांश/देशांतर) या पत्तन यदि तटीय निस्सारण	श्रेणी	अनुमानित निस्सारित की मात्रा		अनुमानित समुद्र में निस्सारण के लिए पोत की आरंभ और समाप्ति की अवस्थिति	प्रमाणन/हस्ताक्षर
			समुद्र में (मी ³)	स्वागत सुविधाओं का या किसी अन्य जलयान(मी ³)		

स्वामी के हस्ताक्षर _____: तारीख _____:

1. प्रस्तावना:

अंतर्राष्ट्रीय जहाज प्रदूषण निवारण अभिसमय, 1973, जिसे 1978 के प्रोटोकॉल (MARPOL 73/78) द्वारा संशोधित किया गया है, के उपाबंध 5 के नियम 10 के अनुसार, प्रत्येक निस्सारण संचालन या पूर्ण भस्मीकरण का अभिलेखित किया जाएगा। इसमें समुद्र में, स्वागत सुविधाओं में, या अन्य जलयानों में किए गए निस्सारण के साथ-साथ कूड़े का आकस्मिक नुकसान भी सम्मिलित है।

2. कूड़ा और कूड़ा प्रबंधन:

कूड़े से सभी प्रकार के खाद्य अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट और परिचालन अपशिष्ट, सभी प्लास्टिक, माल के अवशेष, भस्मीकरण की राख, खाना पकाने का तेल, मछली पकड़ने का सामान और पशु शव जो पोत के सामान्य संचालन के दौरान उत्पन्न होते हैं और जिनका निरंतर या आवधिक रूप से निपटारा किया जाना आवश्यक है, अभिप्रेत है। उन पदार्थों के सिवाय जो अभिसमय के अन्य उपाबंध में परिभाषित या सूचीबद्ध हैं। कूड़े के अंतर्गत में यात्रा के दौरान की गई मत्स्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न ताजी मछली और उसके भाग, या जलीय कृषि गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न मछली (शंख सहित) सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें जलीय कृषि सुविधा में रखने के लिए मछली का परिवहन और ऐसी सुविधाओं से प्रसंस्करण के लिए तट तक काटी गई मछली (शंख सहित) का परिवहन सम्मिलित है। सुसंगत जानकारी के लिए MARPOL 73/78 के उपाबंध V के कार्यान्वयन के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांतों का संदर्भ भी लिया जा सकता है, जैसा कि संकल्पों द्वारा संशोधित किया गया है।

3. कूड़े का विवरण:

कूड़ा अभिलेख पुस्तिका (या पोत की आधिकारिक लॉगबुक) भाग 1 और 2 में अभिलेख के उद्देश्य से कूड़े को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

भाग 1

- क. प्लास्टिक;
- ख. खाद्य अपशिष्ट;
- ग. घरेलू अपशिष्ट;
- घ. खाना पकाने का तेल;
- ङ. भस्म की राख;
- च. परिचालन अपशिष्ट;
- छ. पशुओं के शव;
- ज. मत्स्य गियर;
- झ. ई-अपशिष्ट।

भाग 2

- ञ. स्थोरा (माल कार्गो) अवशेष (गैर-एचएमई);
- ट. स्थोरा (माल कार्गो) अवशेष (एचएमई)।

4. कूड़ा अभिलेख पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियाँ:

1) कूड़ा अभिलेख पुस्तिका में निम्नलिखित प्रत्येक अवसर पर प्रविष्टियाँ की जाएंगी:

(क) जब कूड़ा-कूड़ा तट पर स्थित संग्रहण सुविधाओं या अन्य पोतों में निस्सारित किया जाता है:

- (i) निस्सारण की तारीख और समय;
- (ii) पत्तन या सुविधा, या पोत का नाम;
- (iii) उत्सर्जित कूड़े की श्रेणियाँ;
- (iv) प्रत्येक श्रेणी के लिए घन मीटर में अनुमानित निस्सारण परिमाण;
- (v) संचालन के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर।

(ख) जब कूड़ा जाता है:

- (i) भस्मीकरण के प्रारंभ और समाप्ति की तारीख और समय;
- (ii) भस्मीकरण के प्रारंभ और समाप्ति के समय जलयान का कब्ज़ा (अक्षांश और देशांतर);
- (iii) भस्म होने वाले कूड़े की श्रेणियाँ;
- (iv) घन मीटर में भस्मक की अनुमानित मात्रा;

पोत के स्वामी द्वारा संग्रहण सुविधाओं के संचालक से, जिनमें बजरा और ट्रक सम्मिलित हैं, अंतरित किए गए कूड़े की अनुमानित मात्रा को स्पष्ट करने वाली प्राप्ति या प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्राप्ति या प्रमाण पत्र को कूड़ा अभिलेख पुस्तिका के साथ सुरक्षित रखा जाएगा।

(v) अभियान के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर।

(ग) मारपोल के उपाबंध 5 के विनियम 4, 5, या 6 अथवा पोलर कोड के भाग 2 क के अध्याय 5 के अनुसार समुद्र में कूड़ा उत्सर्जित किया जाता है:

- (i) छुट्टी की तारीख और समय;
- (ii) पोत की स्थिति (अक्षांश और देशांतर)। नोट: कार्गो अवशेषों के निर्वहन के लिए, निर्वहन प्रारंभ और समाप्ति स्थानों को शामिल करें;
- (iii) उत्सर्जित कचरे की श्रेणी;
- (iv) प्रत्येक श्रेणी के लिए घन मीटर में अनुमानित निर्वहन मात्रा;
- (v) अभियान के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर।

(घ) समुद्र में कचरे का आकस्मिक या अन्य असाधारण निर्वहन या हानि, जिसमें मारपोल के उपाबंध 5 के विनियमन 7 के अनुसार भी शामिल है:

- (i) घटना की तारीख और समय;
- (ii) घटना घटित होने के समय पोत का बंदरगाह या स्थान;
- (iii) उत्सर्जित या नष्ट हुए कचरे की श्रेणियाँ;
- (iv) घन मीटर में प्रत्येक श्रेणी के लिए अनुमानित मात्रा;
- (v) उत्सर्जित या नष्ट और साधारण टिप्पणी के लिए कारण

(2) कचरे की राशि:

यदि संभव हो तो श्रेणी के अनुसार बोर्ड पर कचरे की मात्रा का घन मीटर में अलग से अनुमान लगाया जाना चाहिए। कूड़ा अभिलेख बुक में कचरे की अनुमानित मात्रा के कई संदर्भ हैं। यह माना जाता है कि कचरे की मात्रा का अनुमान लगाने की

सटीकता निर्वचन पर छोड़ दी गई है। प्रसंस्करण से पहले और बाद में मात्रा अनुमान अलग-अलग होंगे। कुछ प्रसंस्करण प्रक्रियाएं मात्रा के उपयोग योग्य अनुमान की अनुमति नहीं दे सकती हैं, उदाहरण के लिए, खाद्य अपशिष्ट का निरंतर प्रसंस्करण। अभिलेख में की गई प्रविष्टियों को बनाते और निर्वचन करते समय ऐसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कूड़ा निस्सारण का अभिलेख

पोत का नाम: _____ -

विशिष्ट संख्या, या अक्षर: _____

आई. एम. ओ. नं.: _____

कूड़ा श्रेणियाँ:

1. प्लास्टिक;
2. खाद्य अपशिष्ट;
3. अन्तर्देशीय अपशिष्ट (जैसे, कागज उत्पाद, चीथड़े, कांच, धातु, बोतलें, क्रॉकरी, आदि);
4. खाना पकाने का तेल;
5. भस्मक राख;
6. प्रचालन अपशिष्ट;
7. कार्गो अवशिष्ट;
8. पशु का शव (शवों);
9. मछली पकड़ने का सामान;

नीचे दिए गए अनुसार नई सारणी :

तारीख समय /	जहाज की स्थिति / टिप्पणी (उदाहरण के लिए, आकस्मिक नुकसान)	श्रेणी	निस्सारण या भस्मीकरण की अनुमानित राशि	समुद्र को	रिसेप्शन सुविधा के लिए	भस्मीकरण	प्रमाणन / हस्ताक्षर

मास्टर का हस्ताक्षर : _____

तारीख: _____

तीसरी अनुसूची

[पहली अनुसूची का पैरा 4 और 5 देखें]

मॉडल प्लेकार्ड टेक्स्ट और कूड़ा प्रबंधन योजना (सामग्री)

1. मॉडल प्लेकार्ड (संकेतात्मक पाठ)। —

(1) कू और पोतबोर्ड के संचालन को लक्षित करने वाला नमूना प्लेकार्ड

अन्यथा विहित उपबंधों के सिवाय समुद्र में सभी कचरे का निस्सारण प्रतिषिद्ध है

मारपोल अभिसमय और अन्तर्देशीय विधि जलयानों से अधिकांश कचरे के निस्सारण को प्रतिबंधित करते हैं। केवल निम्नलिखित कूड़ा प्रकारों को निर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत निस्सारण करने की अनुमति है।

मारपोल उपाबंध 5 और आर्कटिक जल के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों के बाहर:

- कटे हुए या पिसे हुए खाद्य अपशिष्ट (25 मिमी से कम खुले वाले स्क्रीन से गुजरने में सक्षम) को निकटतम भूमि से 3 एनएम से कम नहीं निस्सारण किया जा सकता है।
- अन्य खाद्य अपशिष्ट निकटतम भूमि से 12 एनएम से कम नहीं उत्सर्जित किए जा सकते हैं।
- समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं के रूप में वर्गीकृत कार्गो अवशिष्टों को निकटतम भूमि से 12 एनएम से कम नहीं निस्सारण किया जा सकता है।
- कार्गो होल्ड, डेक और बाहरी सतहों की सफाई के लिए पानी में मिलाए जाने वाले अभिकर्ता या योजक तभी उत्सर्जित किए जा सकते हैं जब वे समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक न हों।
- समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होने वाले और धोए गए पानी में निहित सफाई अभिकर्ताओं या योजकों को छोड़कर, जलयान को मार्ग पर और यथासंभव निकटतम भूमि से दूर होना चाहिए।

मारपोल उपाबंध 5 और आर्कटिक जल के अन्तर्गत निर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों के भीतर:

- खाद्य अपशिष्ट और कार्गो अवशिष्टों के निस्सारण के लिए अधिक कठोर निस्सारण अपेक्षाएं लागू होती हैं; और
- अधिक जानकारी के लिए पोलर कोड के भाग-2 क के अध्याय 5 के मारपोल उपाबंध 5 और पोतबोर्ड पर विद्यमान कूड़ा प्रबंधन योजना से परामर्श करें।

समुद्र के सभी क्षेत्रों के लिए, जीवित जानवरों या ठोस बल्क कार्गो जैसे विशेष कार्गो ले जाने वाले जलयानों को उपाबंध 5 और उपाबंध 6 के कार्यान्वयन के लिए संबंधित दिशानिर्देशों से परामर्श करना चाहिए।

किसी भी प्रकार के कचरे का निस्सारण कूड़ा अभिलेख बुक में दर्ज किया जाना चाहिए।

इन अपेक्षाओं का उल्लंघन करने पर दंड हो सकता है।

(2) ऐसे प्लेटफॉर्मों के 500 मीटर के भीतर काम करने वाले निश्चित या तैरते प्लेटफॉर्म और जलयानों को लक्षित करने वाला नमूना प्लेकार्ड

अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा समुद्र में सभी कचरे का निस्सारण प्रतिषिद्ध है

मारपोल अभिसमय और अन्तर्देशीय विधि सभी कचरे को समुद्र में निश्चित या तैरते प्लेटफॉर्मों से और ऐसे प्लेटफॉर्मों के किनारे या 500 मीटर के भीतर से सभी अन्य जलयानों से निस्सारण करने पर रोक लगाते हैं।

अपवाद: कटे हुए या पिसे हुए खाद्य अपशिष्टों को निकटतम भूमि से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर स्थित निश्चित या तैरते प्लेटफार्मों से और सभी अन्य जलयानों से ऐसे प्लेटफार्मों के किनारे या 500 मीटर के भीतर निस्सारण जा सकता है। पिसे हुए या पिसे हुए खाद्य अपशिष्ट 25 मिलीमीटर से कम वाले स्क्रीन से गुजरने में सक्षम होने चाहिए। किसी भी प्रकार के कचरे का निस्सारण कूड़ा अभिलेख बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। इन अपेक्षाओं का उल्लंघन करने पर शास्ति प्रदान की जा सकती है।

(3) यात्रियों को लक्षित करने वाला नमूना प्लेकार्ड

अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा समुद्र में सभी कचरे का निस्सारण प्रतिषिद्ध है मारपोल अभिसमय और अन्तर्देशीय विधि जलयानों से समुद्र में अधिकांश प्रकार के कचरे के निस्सारण को प्रतिबंधित करते हैं।

इन अपेक्षाओं का उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है।

सभी कचरे को जहाज पर ही रखा जाना चाहिए और प्रदान किए गए डिब्बे में रखा जाना चाहिए।

2. कूड़ा प्रबंधन योजना की न्यूनतम सामग्री। —

- (1) पोत का विवरण, संगठन और उत्तरदायी व्यक्ति।
- (2) कूड़ा पृथक्करण योजना और निर्दिष्ट संग्रह बिंदु।
- (3) प्रसंस्करण और भंडारण: संघनन, विखंडन, पीसना, भस्मीकरण (कोई प्लास्टिक नहीं), कंटेनर और लेबलिंग।
- (4) श्रेणी और समुद्री क्षेत्र द्वारा निस्सारण /निपटान प्रक्रियाएं।
- (5) रिसेप्शन सुविधाओं में वितरण और अभिलेखरखाव।-
- (6) प्रशिक्षण और परिचित करना, अभ्यास, आंतरिक जांच और लेखापरीक्षा।
- (7) आकस्मिक हानि, क्षति और रिपोर्टिंग के लिए आकस्मिकताएँ।
- (8) जहां अनुमोदित है वहां इलेक्ट्रॉनिक जीआरबी का उपयोग।

चौथी अनुसूची**[पहली अनुसूची का पैरा 1 और 2 देखें]**

समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक के रूप में ठोस (एचएमई) बल्क कार्गो के वर्गीकरण के लिए मानदंड इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, कार्गो अवशिष्टों को समुद्री पर्यावरण (एचएमई) के लिए हानिकारक माना जाता है यदि वे ठोस बल्क कार्गो के अवशिष्ट हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण वर्गीकरण और लेबलिंग प्रणाली (जीएचएस) के मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करता है

1. एक्युट एक्वाटिक टॉक्सिसिटी श्रेणी 1; और / या
2. क्रोनिक एक्वाटिक टॉक्सिसिटी श्रेणी 1 या 2; और / या
3. कार्सिनोजेनेसिटी श्रेणी 1क या 1ख तेजी से अपघटनीय नहीं होने और उच्च जैव संचय के साथ संयुक्त;
4. उत्परिवर्तनशीलता * श्रेणी 1क या 1ख तेजी से अपघटनीय नहीं होने और उच्च जैव संचय के साथ संयुक्त;
5. प्रजनन विषाक्तता * श्रेणी 1ए या 1बी तेजी से अपघटनीय नहीं होने और उच्च जैव संचय के साथ संयुक्त;
6. विशिष्ट लक्ष्य अंग विषाक्तता बार-बार एक्सपोजर * श्रेणी 1 तेजी से अपघटनीय नहीं होने और उच्च जैव संचय होने के साथ संयुक्त; और / या
7. सिंथेटिक पॉलिमर, रबर, प्लास्टिक या प्लास्टिक फीडस्टॉक छरों (इसमें वे पदार्थ सम्मिलित हैं जिन्हें कतरना, पीसना, काटना या मैस किए गए या इसी तरह के पदार्थ सम्मिलित हैं) वाले ठोस बल्क कार्गो।

नोट: कार्गो की जानकारी के साथ प्रेषक द्वारा एचएमई की स्थिति की घोषणा होनी चाहिए।

पांचवीं अनुसूची**[पहली अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (2) और उप-पैरा (2) के खंड (सी) देखें]**

गैर-एचएमई कार्गो अवशिष्टों और होल्ड-वॉश पानी (विशेष क्षेत्रों के बाहर) के निस्सारण की शर्तें (विशेष क्षेत्रों से बाहर)

1. जलयान रास्ते में है और जहां तक संभव हो सके निकटतम भूमि से दूर निस्सारण किया जाता है।
2. कोई प्लास्टिक या अन्य प्रतिषिद्ध पदार्थ विद्यमान नहीं हैं।
3. होल्ड-वॉश पानी में कोई सफाई अभिकर्ता / योजक नहीं हैं जो समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं।
4. केवल तभी निस्सारण करें जब रिसेप्शन सुविधाएं उपलब्ध न हों या उपयोग के लिए व्यावहारिक न हों।
5. वॉश-वॉटर के लिए प्रारंभ या बंद होने की स्थिति सहित जीआरबी भाग में की गई प्रविष्टियाँ।

फुटनोट

2. यह मानदंड संयुक्त राष्ट्र जीएचएस पर आधारित हैं। विशिष्ट उत्पादों (जैसे धातु और अकार्बनिक धातु यौगिक) के लिए यूएन जीएचएस, अनुलग्नक 9 और 10 में उपलब्ध मार्गदर्शन मानदंड और वर्गीकरण को सही तरह से समझना आवश्यक है और इसका पालन किया जाना चाहिए।

3. वे उत्पाद जो कार्सिनोजेनेसिटी (कैंसरजन्यता), म्यूटाजेनेसिटी (उत्परिवर्तनजन्यता), प्रजनन विषाक्तता या विशिष्ट लक्षित अंग विषाक्तता (बार-बार संपर्क से) के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं, तथा जिनके खतरा विवरण में मौखिक एवं त्वचा संबंधी जोखिमों का उल्लेख है या संपर्क मार्ग का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

छठी अनुसूची
[पहली अनुसूची का पैरा 7 देखें]
रिपोर्टिंग प्रारूप

खोए हुए मछली पकड़ने का गियर रिपोर्ट (पोत / मछली पकड़ने के जलयान का विवरण; स्थिति; गियर का विवरण; परिस्थितियाँ; खतरा मूल्यांकन; की गई कार्रवाई; संपर्क विवरण)।

[फा .सं. एसवाई-19014/198/2025-एमजी-भाग(4)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2026

G.S.R. 378(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d) and (i) of sub-section (2) of section 143 read with sub-section (4) of section 133, sub-section (2) of section 135 read with section 136 and sub-section (1) of section 142 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Garbage from Ships) Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Garbage from Vessels) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);
- (b) “administration” means the Director-General for Indian vessels and with respect to a vessel entitled to fly a flag of another State means the Government of that State;
- (c) “animal carcasses” means the bodies of any animals that are carried on board as cargo and that die or are euthanised during the voyage;
- (d) “Annex” means Annex V to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL), as amended from time to time;
- (e) “cargo residues” means the remnants of any cargo which are not covered by other rules made under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) in relation of pollution prevention and which remain on the deck or in holds following loading or unloading, including loading and unloading excess or spillage, whether in wet or dry condition or entrained in wash water but does not include cargo dust remaining on the deck after sweeping or dust on the external surfaces of the vessel;
- (f) “convention” means the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 including its Protocol of 1978, as amended from time to time;
- (g) “cooking oil” means any type of edible oil or animal fat used or intended to be used for the preparation or cooking of food, but does not include the food itself that is prepared using these oils;

- (h) “domestic wastes” means all categories of waste generated within the accommodation spaces of a vessel which are not regulated under any other rules made under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) in relating to pollution prevention, and shall not include grey water;
- (i) “electronic record book” means a device or system, approved by the administration, used to electronically record the required entries for discharges, transfers and other operations as required under the Annex in lieu of a hard copy record book;
- (j) “*en route*” means that the vessel is underway at sea on a course or courses, including deviation from the shortest direct route, which as far as practicable for navigational purposes, will cause any discharge to be spread over as great an area of the sea as is reasonable and practicable;
- (k) “e-waste” means electrical and electronic equipment used for the normal operation of the vessel or in the accommodation spaces, including all components, sub-assemblies and consumables, which are part of the equipment at the time of discarding, with the presence of material potentially hazardous to human health or to the environment;
- (l) “fishing gear” means any physical device or part thereof or combination of items that may be placed on or in the water or on the sea-bed with the intended purpose of capturing, or controlling for subsequent capture or harvesting, marine or fresh water organisms;
- (m) “fixed or floating platforms” means fixed or floating structures located at sea which are engaged in the exploration, exploitation or associated offshore processing of sea-bed mineral resources;
- (n) “food wastes” means any spoiled or unspoiled food substances and includes fruits, vegetables, dairy products, poultry, meat products and food scraps generated aboard vessel;
- (o) “garbage” means all kinds of food wastes, domestic wastes and operational wastes, all plastics, cargo residues, incinerator ashes, cooking oil, fishing gear, and animal carcasses generated during the normal operation of the vessel and liable to be disposed of continuously or periodically except those substances which are defined or listed in other rules made under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) relating to pollution prevention:

Provided that garbage does not include fresh fish and parts thereof generated as a result of fishing activities undertaken during the voyage, or as a result of aquaculture activities which involve the transport of fish including shellfish for placement in the aquaculture facility and the transport of harvested fish including shellfish from such facilities to shore for processing;

- (p) “HME” (harmful to the marine environment) in relation to solid bulk cargoes has the meaning and criteria set out in the Fourth Schedule;
- (q) “incinerator ashes” means ash and clinkers resulting from shipboard incinerators used for the incineration of garbage;
- (r) “nearest land” shall have the same meaning as assigned in the Annex, including the special baseline off the north-eastern coast of Australia;
- (s) “operational wastes” means all solid wastes (including slurries) not covered by other rules made under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) relating to pollution prevention that are collected on board during normal maintenance or operations of a vessel, or used for cargo stowage and handling and it includes cleaning agents and additives contained in cargo hold and external wash water:

Provided that operational wastes do not include grey water, bilge water, or other similar discharges essential to the operation of a vessel, taking into account the guidelines developed by the International Maritime Organization;

- (t) “Organisation” means the International Maritime Organization;
- (u) “plastic” means a solid material which contains as an essential ingredient one or more high molecular mass polymers and which is formed (shaped) during either manufacture of the polymer or the fabrication into a

finished product by heat and/or pressure, having material properties ranging from hard and brittle to soft and elastic and includes all garbage that consists of or includes plastic in any form, including synthetic ropes, synthetic fishing nets, plastic garbage bags, microplastics, plastic pellets and incinerator ashes from plastic products;

- (v) “Polar Code” means the International Code for vessels operating in polar waters, consisting of an introduction, Part I-A and Part II-A and Parts I-B and II-B, as adopted by resolutions MSC.385(94) and MEPC.264(68), as may be amended:

Provided that:

- (i) amendments to the environment-related provisions of the introduction and Chapter 5 of Part II-A of the Polar Code are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of Article 16 of the Convention concerning the amendment procedures applicable to an appendix to an annex; and
- (ii) amendments to Part II-B of the Polar Code are adopted by the Marine Environment Protection Committee in accordance with its Rules of Procedure;

- (w) “Polar waters” means Arctic waters and/or the Antarctic area.

Explanation: For the purpose of this clause, Arctic waters means those waters which are located north of a line from the latitude 58°00′.0 N and longitude 042°00′.0 W to latitude 64°37′.0 N, longitude 035°27′.0 W and thence by a rhumb line to latitude 67°03′.9 N, longitude 026°33′.4 W and thence by a rhumb line to the latitude 70°49′.56 N and longitude 008°59′.61 W (Sørkapp, Jan Mayen) and by the southern shore of Jan Mayen to 73°31′.6 N and 019°01′.0 E by the Island of Bjørnøya, and thence by a great circle line to the latitude 68°38′.29 N and longitude 043°23′.08 E (Cap Kanin Nos) and hence by the northern shore of the Asian Continent eastward to the Bering Strait and thence from the Bering Strait westward to latitude 60° N as far as Il'pyskiy and following the 60th North parallel eastward as far as and including Etolin Strait and thence by the northern shore of the North American continent as far south as latitude 60° N and thence eastward along parallel of latitude 60° N, to longitude 056°37′.1 W and thence to the latitude 58°00′.0 N, longitude 042°00′.0 W;

- (x) “Schedule” means the Schedules annexed to these rules containing the requirements of Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, including its Protocol of 1978, as amended from time to time;

- (y) “special area” means a sea area where for recognised technical reasons in relation to its oceanographic and ecological condition and to the particular character of its traffic the adoption of special mandatory methods for the prevention of sea pollution by garbage is required and the special areas are the Mediterranean Sea area, the Baltic Sea area, the Black Sea area, the Red Sea area, the Gulfs area, the North Sea area, the Antarctic area and the Wider Caribbean Region, which are defined as follows:

- (i) the Mediterranean Sea area means the Mediterranean Sea proper including the gulfs and seas therein with the boundary between the Mediterranean and the Black Sea constituted by the 41° N parallel and bounded to the west by the Straits of Gibraltar at the meridian 5°36′ W;
- (ii) the Baltic Sea area means the Baltic Sea proper with the Gulf of Bothnia and the Gulf of Finland and the entrance to the Baltic Sea bounded by the parallel of the Skaw in the Skagerrak at 57° 44.8′ N;
- (iii) the Black Sea area means the Black Sea proper with the boundary between the Mediterranean and the Black Sea constituted by the parallel 41° N;

- (iv) the Red Sea area means the Red Sea proper including the Gulfs of Suez and Aqaba bounded at the south by the rhumb line between Ras si Ane (12° 28.5' N, 43° 19.6' E) and Husn Murad (12° 40.4' N, 43° 30.2' E);
- (v) the Gulfs area means the sea area located north-west of the rhumb line between Ras al Hadd (22° 30' N, 59° 48' E) and Ras al Fasteh (25° 04' N, 61° 25' E);
- (vi) the North Sea area means the North Sea proper including seas therein with the boundary between the North Sea southwards of latitude 62° N and eastwards of longitude 4° W, the Skagerrak, the southern limit of which is determined east of the Skaw by latitude 57° 44.8' N and the English Channel and its approaches eastwards of longitude 5° W and northwards of latitude 48° 30' N;
- (vii) the Antarctic area means the sea area south of latitude 60° S;
- (viii) the wider Caribbean Region means the Gulf of Mexico and Caribbean Sea proper including the bays and seas therein and that portion of the Atlantic Ocean within the boundary constituted by the 30° N parallel from Florida eastward to 77°30' W meridian, thence a rhumb line to the intersection of 20° N parallel and 59° W meridian, thence a rhumb line to the intersection of 7°20' N parallel and 50° W meridian, thence a rhumb line drawn southwesterly to the eastern boundary of French Guiana

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application. — (1) Unless expressly provided otherwise, the provisions of these rules shall apply in accordance with sections 131 and 132 of the Act to all vessels and ports.

(2) The vessels and ports to which these rules apply shall comply with the requirements given in the Schedule to these rules.

4. General prohibition on discharge of garbage into the sea. — (1) Discharge of all garbage and e-waste into the sea is prohibited, except as provided otherwise in paragraphs 1 to 3 of the First Schedule and rule 5 and section 5.2 of Part II-A of the Polar Code.

(2) Except as provided in rule 5 of these rules, discharge into the sea of all plastics, including synthetic ropes, synthetic fishing nets, plastic garbage bags, [microplastics](#), [plastic pellets](#) and [incinerator ashes from plastic products](#) is [prohibited](#).

5. Exceptions. — (1) The provisions of rule 4 and paragraphs 1 to 3 of the First Schedule and section 5.2 of Chapter 5 of Part II-A of the Polar Code shall not apply to —

- (a) the discharge of garbage from a vessel necessary for the purpose of securing the safety of a vessel and those on board or saving life at sea; or
- (b) the accidental loss of garbage resulting from damage to a vessel or its equipment, provided that all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of the damage, to prevent or minimise the accidental loss; or
- (c) the accidental loss of fishing gear from a vessel provided that all reasonable precautions have been taken to prevent such loss; or
- (d) the discharge of fishing gear from a vessel for the protection of the marine environment or for the safety of that vessel or its crew.

(2) The *en route* requirements of paragraphs 1 and 2 of the First Schedule and chapter 5 of Part II-A of the Polar Code shall not apply to the discharge of food wastes where it is clear the retention on board of these food wastes presents an imminent health risk to the people on board.

6. Polar waters. — (1) The vessels to which these rules apply while operating in polar waters shall comply with the environment-related provisions of the introduction and with Chapter 5 of part II-A of the Polar Code, in addition to any other applicable requirements of these rules.

(2) In applying Chapter 5 of Part II-A of the Polar Code, consideration shall be given to the additional guidance in Part II-B of the Polar Code.

7. Adequacy of reception facilities. — (1) Every port and terminal in India shall ensure the provision of adequate facilities for the reception of garbage without causing undue delay to vessels, in accordance with sub-section (1) of section 142 of the Act.

(2) The Director-General shall notify the Organisation, for transmission to the contracting governments concerned, of all cases where the facilities to be provided under the Annex are alleged to be inadequate.

(3) The fees payable by ports and terminals to the Director-General for audit or inspection of reception facilities and scrutiny, approval and periodic review of the Port Waste Management Plan (PWMP) shall be Rs. 40,000/-.

8. Control on operational requirements. — (1) Every vessel when in a port or an offshore terminal in India is subject to inspection by surveyor or an authorised person concerning operational requirements under these rules, where there are clear grounds for believing that the master or crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to the prevention of pollution by garbage.

(2) In the circumstances specified in sub-rule (1), the surveyor or authorised person shall take such steps to ensure that the vessel shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the requirements of these rules.

(3) Nothing in this rule shall be construed to limit the rights and obligations of the Central Government carrying out control over operational requirements specifically provided for in the Act or rules made thereunder or Convention.

9. Penalty. — (1) Any contravention of these rules or failure to comply with any requirement thereof shall be liable to penalties as specified in the Act.

(2) Any person who operates any vessel in contravention of the provisions of these rules, and for which no specific penalty is provided under sub-section (2) of section 281 of the Act, shall be liable to penalty which may extend to Rs. 50,000, and if the breach is a continuing one, with further penalty which may extend to Rs. 5,000 for every day after the first day during which the breach continues.

(3) The imposition of any penalty under this rule shall not absolve the owner or master from the requirement of rectifying the non-compliance.

FIRST SCHEDULE**[See sub-rule (1) of rule 4 and rule 5]****Prevention of Pollution by Garbage (Annex V, Regs. 3–6)**

1 . Discharge of garbage outside special areas. — (1) Discharge of the following garbage into the sea outside special areas shall only be permitted while the vessel is *en route* and as far as practicable from the nearest land, but in any case, not less than, —

- (a) three nautical miles from the nearest land for food wastes which have been passed through a comminuter or grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm;
 - (b) twelve nautical miles from the nearest land for food wastes that have not been treated in accordance with clause (a);
 - (c) twelve nautical miles from the nearest land for cargo residues that cannot be recovered using commonly available methods for unloading, subject to compliance with the conditions specified in the Fifth Schedule. These cargo residues shall not contain any substances classified as harmful to the marine environment, in accordance with the criteria set out in the Fourth Schedule;
 - (d) for animal carcasses, discharge shall occur as far from the nearest land as possible, taking into account the guidelines issued by the Organisation.
- (2) Cleaning agents or additives contained in cargo hold, deck and external surfaces wash water may be discharged into the sea, provided that such discharge complies with the conditions specified in the Fifth Schedule, and these substances must not be harmful to the marine environment, taking into account guidelines issued by the Organisation.
- (3) Solid bulk cargoes as defined in regulation VI/1-1.2 of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended, other than grain, shall be classified in accordance with the Fourth Schedule, and declared by the shipper as to whether or not they are harmful to the marine environment.
- (4) When garbage is mixed with or contaminated by other substances prohibited from discharge or having different discharge requirements, the more stringent requirements shall apply.

2 . Discharge within special areas. — (1) Discharge of the following garbage into the sea within special areas shall only be permitted while the vessel is *en route* and as follows:

- (a) Discharge into the sea of food wastes as far as practicable from the nearest land, but not less than twelve nautical miles from the nearest land or the nearest ice shelf. Food wastes shall be comminuted or ground and shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Food wastes shall not be contaminated by any other garbage type. Discharge of introduced avian products, including poultry and poultry parts, is not permitted in the Antarctic area, unless it has been treated to be made sterile.
- (b) Discharge of cargo residues that cannot be recovered using commonly available methods for unloading, where all the following conditions are satisfied, namely: —
 - (i) Cargo residues contained in hold washing water do not include any substances classified as harmful to the marine environment according to the criteria set out in the Fourth Schedule;
 - (ii) Solid bulk cargoes as defined in regulation VI/1-1.2 of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended, other than grain, shall be classified in accordance with the

Fourth Schedule, and declared by the shipper as to whether or not they are harmful to the marine environment;

(iii) Cleaning agents or additives contained in hold washing water do not include any substances classified as harmful to the marine environment taking into account guidelines developed by the Organisation;

(iv) Both the port of departure and the next port of destination are within the special area and the vessel will not transit outside the special area between those ports;

(v) No adequate reception facilities are available at those ports taking into account guidelines developed by the Organisation; and

(vi) Where the conditions of sub-clauses (i) to (v) above have been fulfilled, discharge of cargo hold washing water containing residues shall be made as far as practicable from the nearest land or the nearest ice shelf and not less than twelve nautical miles from the nearest land or the nearest ice shelf.

(2) Cleaning agents or additives contained in deck and external surfaces wash water may be discharged into the sea, but only if these substances are not harmful to the marine environment, taking into account guidelines issued by the Organisation.

(3) In addition to the provisions of sub-paragraph 1, the following rules shall also apply with respect to the Antarctic area, namely: -

(a) Each party at whose ports vessels depart *en route* to or arrive from the Antarctic area undertakes to ensure that as soon as practicable adequate facilities are provided for the reception of all garbage from all vessels, without causing undue delay, and according to the needs of the vessels using them.

(b) Each party shall ensure that all vessels entitled to fly its flag, before entering the Antarctic area, have sufficient capacity on board for the retention of all garbage, while operating in the area and have concluded arrangements to discharge such garbage at a reception facility after leaving the area.

(4) When garbage is mixed with or contaminated by other substances prohibited from discharge or having different discharge requirements, the more stringent requirements covered by other rules made under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) shall apply.

3. Special requirements for discharge of garbage from fixed or floating platforms. — (1) Subject to the provisions of sub-paragraph (2), the discharge into the sea of any garbage is prohibited from fixed or floating platforms and from all other vessels when alongside or within 500 m of such platforms.

(2) Food wastes may be discharged into the sea from fixed or floating platforms located more than twelve nautical miles from the nearest land and from all other vessels when alongside or within 500 m of such platforms, but only when the wastes have been passed through a comminuter or grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings not greater than 25 mm.

4. Placards. — Every vessel of 12 metres or more in length and fixed or floating platforms, overall shall display placards as applicable which are specified in the Third Schedule, in the working language of the vessel's personnel and also in English for international voyages, notifying the crew and passengers of the garbage discharge requirements of rule 4 and paragraphs 1, 2 and 3 of this Schedule and section 5.2 of Part II-A of the Polar Code.

5. Garbage Management Plan (GMP). — (1) Every vessel of 100 gross tonnage and above, and every vessel which is certified to carry fifteen or more persons, and fixed or floating platforms shall carry a garbage management plan as specified in the Third Schedule, which the crew shall follow.

- (2) This plan shall provide written procedures for minimising, collecting, storing, processing and disposing of garbage, including the use of the equipment on board. It shall also designate the person or persons in charge of carrying out the plan.
- (3) Such a plan shall be based on the guidelines issued by the Organisation and vessel-specific, easy to understand, and written in the working language of the vessel.

6. Garbage Record Book (GRB) and record-keeping. — (1) Every vessel of 100 gross tonnage and above and every vessel which is certified to carry fifteen or more persons engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of another party to the convention and every fixed or floating platform shall be provided with a Garbage Record Book. The Garbage Record Book, whether as a part of the vessel's official log-book, or as an electronic record book which shall be approved by the Director-General taking into account the guidelines issued by the Organisation, shall be in the form specified in the Second Schedule.

- (2) Each discharge into the sea or to a reception facility, or a completed incineration, shall be promptly recorded in the Garbage Record Book and signed for on the date of the discharge or incineration by the officer-in-charge. Each completed page or group of electronic entries of the Garbage Record Book shall be signed by the master of the vessel. The entries in the Garbage Record Book shall be in working language of the vessel and English, if required.
- (3) The entry for each discharge into the sea under paragraphs 1 to 3 of this Schedule or section 5.2 of Chapter 5 of Part II-A of the Polar Code shall include date and time, position of the vessel (latitude and longitude), category of the garbage and the estimated amount (in cubic metres) discharged. For discharge of cargo residues, the discharge start and stop positions shall be recorded in addition to the foregoing.
- (4) The entry for each completed incineration shall include date and time and position of the vessel (latitude and longitude) at the start and stop of incineration, categories of garbage incinerated and the estimated amount incinerated for each category in cubic metres.
- (5) The entry for each discharge to a port reception facility or another vessel shall include date and time of discharge, port or facility or name of vessel, categories of garbage discharged, and the estimated amount discharged for each category in cubic metres.
- (6) The Garbage Record Book along with receipts obtained from reception facilities shall be kept on board the vessel or the fixed or floating platform, and in such a place as to be readily available for inspection at all reasonable times. This document shall be preserved for a period of at least two years from the date of the last entry made in it.
- (7) In the event of any discharge or accidental loss referred to in rule 5, an entry shall be made in the Garbage Record Book, or in the case of any vessel of less than 100 gross tonnage, an entry shall be made in official logbook of the vessel of the date and time of occurrence, port or position of the vessel at time of occurrence (latitude, longitude and water depth, if known), the reason for the discharge or loss, details of the items discharged or lost, categories of garbage discharged or lost, estimated amount for each category in cubic metres, reasonable precautions taken to prevent or minimise such discharge or accidental loss and general remarks.
- (8) The Director-General may waive the requirements for Garbage Record Books for —
 - (a) any vessel engaged on voyages of one hour or less in duration which is certified to carry fifteen or more persons; or
 - (b) fixed or floating platforms.

(9) The surveyor or an authorised person may inspect the Garbage Record Books or official logbook of the vessel on board any vessel to which these rules apply while the vessel is in ports or offshore terminals in India and may make a copy of any entry in those books, and may require the master of the vessel to certify that the copy is a true copy of such an entry. Any copy so made, which has been certified by the master of the vessel as a true copy of an entry in Garbage Record Book of the vessel or official logbook of the vessel, shall be admissible in any judicial proceedings as evidence of the facts stated in the entry. The inspection of a Garbage Record Book or official logbook of the vessel and the taking of a certified copy by the surveyor or an authorised person under this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.

7 . Notifications and reports. — Any accidental loss or discharge of fishing gear, as referred to in clauses (c) and (d) of sub-rule (1) of rule 5, which poses a hazard to navigation or a threat to the marine environment **shall be reported without delay** to the **Administration of the State whose flag the vessel is entitled to fly** in form specified under Sixth Schedule. Where such loss or discharge occurs **within waters subject to the jurisdiction of a coastal State**, the same shall also be reported to the **nearest coastal State authority**. Reporting under this paragraph may be facilitated electronically.

SECOND SCHEDULE

[See paragraph 6 of the First Schedule]

Form of Garbage Record Book

RECORD OF GARBAGE DISCHARGES

Part I - For all garbage other than cargo residues as defined in regulation 1.2 (Definitions) (All ships)

Name of the ship	Distinctive number or letters	IMO number
------------------	-------------------------------	------------

Garbage categories

A -Plastics	B -Food waste	C -Domestic wastes	D -Cooking oil	
E -Incinerator ashes	F -Operational wastes	G -Animal carcasses	H -Fishing gear	I -E-waste

Discharges under MARPOL Annex V regulations 4 (Discharge of garbage outside special areas), 5 (Special requirements for discharge of garbage from fixed or floating platforms) or 6 (Discharge of garbage within special areas) or chapter 5 of Part II-A of the Polar Code

Date/ Time	Position of the ship (latitude / longitude) or port if discharged ashore or name of vessel if discharged to another ship	Cate- gory	Estimated amount discharged		Estimated amount incinerated (m ³)	Remarks: (e.g. start/stop time and position of incineration; general remarks)	Certification/ Signature
			Into sea (m ³)	To reception facilities or to another vessel (m ³)			

Exceptional discharge or loss of garbage under regulation 7 (Exceptions)

Date/ Time	Port or position of the ship (latitude/ longitude and water depth if known)	Category	Estimated amount lost or discharged (m ³)	Remarks on the reason for the discharge or loss and general remarks (e.g. reasonable precautions taken to prevent or minimise such discharge or accidental loss and general remarks)	Certification/ Signature

Master's signature: _____

Date: _____

Part II**For all cargo residues as defined in regulation 1.2 (Definitions)****(Ships that carry solid bulk cargoes)**

Name of the ship	Distinctive number or letters	IMO number
------------------	-------------------------------	------------

Garbage categories

J- Cargo residues (non-HME)	K- Cargo residues (HME)
------------------------------------	--------------------------------

Discharges under regulations 4 (Discharge of garbage outside special areas) and 6 (Discharge of garbage within special areas)

Date/ Time	Position of the ship (latitude / longitude) or port if discharged ashore	Category	Estimated amount discharged		Start and stop positions of the ship for discharges into the sea	Certification/ Signature
			Into sea (m ³)	To reception facilities or to another vessel (m ³)		

Master's signature: _____

Date: _____

1. Introduction:

In accordance with regulation 10 of Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78), a record is to be kept of each discharge operation or completed incineration. This includes discharges at sea, to reception facilities, or to other vessels as well as the accidental loss of garbage.

2. Garbage and garbage management:

Garbage means all kinds of food wastes, domestic wastes and operational wastes, all plastics, cargo residues, incinerator ashes, cooking oil, fishing gear, and animal carcasses generated during the normal operation of the ship and liable to be disposed of continuously or periodically, except those substances which are defined or listed in other Annexes to the Convention. Garbage does not include fresh fish and parts thereof generated as a result of fishing activities undertaken during the voyage, or as a result of aquaculture activities which involve the transport of fish

including shellfish for placement in the aquaculture facility and the transport of harvested fish including shellfish from such facilities to shore for processing.

The guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL 73/78, as amended by resolutions, shall also be referred to for relevant information.

3. Description of the garbage:

Garbage is to be grouped into categories for the purposes of recording in parts I and II of the Garbage Record Book (or ship's official log-book) as follows:

Part I

- A. Plastics;
- B. Food wastes;
- C. Domestic wastes;
- D. Cooking oil;
- E. Incinerator ashes;
- F. Operational wastes;
- G. Animal carcasses;
- H. Fishing gear;
- I. E-waste.

Part II

- J. Cargo residues (non-HME);
- K. Cargo residues (HME).

4. Entries in the Garbage Record Book:

(1) Entries in the Garbage Record Book shall be made on each of the following occasions:

(a) When garbage is discharged to reception facilities* ashore or to other ships:

- (i) Date and time of discharge;
- (ii) Port or facility, or name of vessel;
- (iii) Categories of garbage discharged;
- (iv) Estimated amount discharged for each category in cubic metres;
- (v) Signature of officer in charge of the operation.

(b) When garbage is incinerated:

- (i) Date and time of start and stop of incineration;
- (ii) Position of the vessel (latitude and longitude) at the start and stop of incineration;
- (iii) Categories of garbage incinerated;
- (iv) Estimated amount incinerated in cubic metres;
- (v) Signature of the officer in charge of the operation.

(c) When garbage is discharged into the sea in accordance with regulations 4, 5 or 6 of MARPOL Annex V or chapter 5 of Part II-A of the Polar Code:

- (i) Date and time of discharge;

* Ship's masters should obtain from the operator of the reception facilities, which includes barges and trucks, a receipt or certificate specifying the estimated amount of garbage transferred. The receipts or certificates must be kept together with the Garbage Record Book.

- (ii) Position of the vessel (latitude and longitude). *Note: for cargo residue discharges, include discharge start and stop positions;*
 - (iii) Category of garbage discharged;
 - (iv) Estimated amount discharged for each category in cubic metres;
 - (v) Signature of the officer in charge of the operation.
- (d) Accidental or other exceptional discharges or loss of garbage into the sea, including in accordance with regulation 7 of Annex V of MARPOL:
- (i) Date and time of occurrence;
 - (ii) Port or position of the vessel at time of occurrence;
 - (iii) Categories of garbage discharged or lost;
 - (iv) Estimated amount for each category in cubic metres;
 - (v) The reason for the discharge or loss and general remarks.

(2) Amount of Garbage:

The amount of garbage on board should be estimated in cubic metres, if possible, separately according to category.

The Garbage Record Book contains many references to estimated amount of garbage. It is recognised that the accuracy of estimating amounts of garbage is left to interpretation. Volume estimates will differ before and after processing. Some processing procedures may not allow for a usable estimate of volume, e.g., the continuous processing of food waste. Such factors should be taken into consideration when making and interpreting entries made in a record.

RECORD OF GARBAGE DISCHARGES

Ship's name: _____

Distinctive No., or letters: _____

IMO No.: _____

Garbage categories:

1. Plastic;
2. Food waste;
3. Domestic wastes (e.g., paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.);
4. Cooking oil;
5. Incinerator ashes;
6. Operational wastes;
7. Cargo residues;
8. Animal Carcass(es);
9. Fishing gear;

NEW TABLE LAYOUT AS BELOW:

Date/ Time	Position of the Vessel/Remarks (e.g., accidental loss)	Category	Estimated Amount Discharged or Incinerated	To Sea	To Reception Facility	Incineration	Certificatio n/ Signature

Master's signature: _____

Date: _____

THIRD SCHEDULE

[See paragraphs 4 and 5 of the First Schedule]

Model Placard Text and Garbage Management Plan (Content)**1 . Model Placard (indicative text). —****(1) Sample placard targeting crew and shipboard operations****DISCHARGE OF ALL GARBAGE INTO THE SEA IS PROHIBITED EXCEPT PROVIDED OTHERWISE**

The MARPOL Convention and domestic law prohibit the discharge of most garbage from vessels. Only the following garbage types are allowed to be discharged under the specified conditions.

Outside special areas designated under MARPOL Annex V and Arctic waters:

- Comminuted or ground food wastes (capable of passing through a screen with openings no larger than 25 mm) may be discharged not less than 3 nm from the nearest land.
- Other food wastes may be discharged not less than 12 nm from the nearest land.
- Cargo residues classified as not harmful to the marine environment may be discharged not less than 12 nm from the nearest land.
- Cleaning agents or additives in cargo hold, deck and external surfaces washing water may be discharged only if they are not harmful to the marine environment.
- With the exception of discharging cleaning agents or additives that are not harmful to the marine environment and are contained in washing water, the vessel must be *en route* and as far as practicable from the nearest land.

Within special areas designated under MARPOL Annex V and Arctic waters:

- More stringent discharge requirements apply for the discharges of food wastes and cargo residues; and
- Consult MARPOL Annex V, chapter 5 of part II-A of the Polar Code and the shipboard garbage management plan for details.

For all areas of the sea, vessels carrying specialised cargoes such as live animals or solid bulk cargoes should consult Annex V and the associated Guidelines for the implementation of Annex V.

Discharge of any type of garbage must be entered in the Garbage Record Book.

Violation of these requirements may result in penalties.

(2) Sample placard targeting fixed or floating platforms and vessels operating within 500 m of such platforms**DISCHARGE OF ALL GARBAGE INTO THE SEA IS PROHIBITED EXCEPT PROVIDED OTHERWISE**

The MARPOL Convention and domestic law prohibit the discharge of all garbage into the sea from fixed or floating platforms and from all other vessels when alongside or within 500 metres of such platforms.

Exception: Comminuted or ground food wastes may be discharged from fixed or floating platforms located more than 12 nautical miles from the nearest land and from all other vessels when alongside or within 500 metres of such platforms. Comminuted or ground food wastes must be capable of passing through a screen no larger than 25 millimetres.

Discharge of any type of garbage must be entered in the Garbage Record Book.

Violation of these requirements may result in penalties.

(3) Sample placard targeting passengers

**DISCHARGE OF ALL GARBAGE INTO THE SEA IS PROHIBITED EXCEPT PROVIDED
OTHERWISE**

The MARPOL Convention and domestic law prohibit the discharge of most forms of garbage from vessels into the sea.

Violation of these requirements may result in penalties.

All garbage is to be retained on board and placed in the bins provided.

2. Minimum Content of Garbage Management Plan. —

- (1) Vessel particulars, organisation and responsible person.
- (2) Garbage segregation plan and designated collection points.
- (3) Processing and storage: compaction, comminution, grinding, incineration (no plastics), containers and labelling.
- (4) Discharge/disposal procedures by category and sea area.
- (5) Delivery to reception facilities and record-keeping.
- (6) Training and familiarisation, drills, internal checks and audits.
- (7) Contingencies for accidental loss, damage, and reporting.
- (8) Use of electronic GRB where approved.

FOURTH SCHEDULE

[See paragraphs 1 and 2 of the First Schedule]

Criteria for the Classification of Solid Bulk Cargoes as Harmful to the Marine Environment (HME)

For the purpose of this Schedule, cargo residues are considered to be harmful to the marine environment (HME) if they are residues of solid bulk cargoes which are classified according to the criteria of the United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) meeting the following parameters¹:

1. Acute Aquatic Toxicity Category 1; and/or
2. Chronic Aquatic Toxicity Category 1 or 2; and/or
3. Carcinogenicity* Category 1A or 1B combined with not being rapidly degradable and having high bioaccumulation;
4. Mutagenicity**Error! Bookmark not defined.** Category 1A or 1B combined with not being rapidly degradable and having high bioaccumulation;
5. Reproductive Toxicity**Error! Bookmark not defined.** Category 1A or 1B combined with not being rapidly degradable and having high bioaccumulation;
6. Specific Target Organ Toxicity Repeated Exposure**Error! Bookmark not defined.** Category 1 combined with not being rapidly degradable and having high bioaccumulation; and/or
7. Solid bulk cargoes containing or consisting of synthetic polymers, rubber, plastics, or plastic feedstock pellets (this includes materials that are shredded, milled, chopped or macerated or similar materials).

Note: Shipper's declaration of HME status shall accompany cargo information.

¹ The criteria are based on UN GHS. For specific products (e.g. metals and inorganic metal compounds) guidance available in UN GHS, annexes 9 and 10 is essential for proper interpretation of the criteria and classification and should be followed.

* Products that are classified for Carcinogenicity, Mutagenicity, Reproductive Toxicity or Specific Target Organ Toxicity Repeated Exposure for oral and dermal hazards or without specification of the exposure route in the hazard statement.

FIFTH SCHEDULE

[See clause (c) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 1 of the First Schedule]
Conditions for Discharge of Non-HME Cargo Residues and Hold-Wash Water (outside special areas)

1. Vessel is *en route* and discharge is made as far as practicable from nearest land.
2. No plastics or other prohibited substances present.
3. Hold-wash water contains no cleaning agents/additives that are harmful to the marine environment.
4. Discharge only when reception facilities are not available or not practicable to use.
5. Entries made in GRB Part II, including start/stop positions for wash-water.

SIXTH SCHEDULE

[See paragraph 7 of the First Schedule]
Reporting Formats

Lost Fishing Gear Report (vessel/fishing vessel particulars; position; description of gear; circumstances; hazard assessment; actions taken; contact details).

[F. No. SY-19014/198/2025-MG-Part(4)]
MUKESH MANGAL, Addl. Secy.